संख्या: 11/2017/1461/12-2-2017-23/2012

प्रेषक,

बी0 राम शास्त्री
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 11 मई, 2017

विषय: अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-102-मृदा संरक्षण-05-मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पांच माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: शो0 एवं मृ सर्वे/121/लेखा/एमएसएसवाई/वि0स्वी0/17-18 दिनांक 15 अप्रैल, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-05-मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1411.43 लाख के सापेक्ष प्रथम पांच माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु रू0 588.00 लाख (रूपये पांच करोड अठठासी लाख मात्र) की स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत योजना की कार्य योजना स्वीकृत होने के उपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

2. धनराशि का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों/अधिकारियों की मांग के अनुसार धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यक होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. स्वीकृत धनराशि सम्भावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाये, जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोल कर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषगार में आहरित कर शासन की पूर्वानुमति के वगैर बैंक खाते में न जमा की जाये। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

7. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

9. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरंक्षण-102-मृदा संरंक्षण-05-मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(बी0 राम शास्त्री)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 11/2017/1461 (1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 11/2017/1461/12-2-2017-23/2012 दिनांक 11 मई, 2017 का संलग्नक

<table>
<tr><td>क्र0सं0</td><td>विषय</td><td>विवरण</td></tr>
<tr><td>1</td><td>योजना का नाम</td><td>मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण योजना</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वित्त पोषण</td><td>100 प्रतिशत राज्यांश (राज्य सेक्टर)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का विवरण संक्षेप में</td><td>योजनान्तर्गत 182 तहसील स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के मानदेय/ पारिश्रमिक एवं समस्त कर विद्युत व्यय तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि</td></tr>
<tr><td>4</td><td>नियोजन विभाग/व्यय वित्त समिति/भारत सरकार/ आरकेवीवाई में एसएल एससी/ मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित कार्य योजना, परियोजना अवधि, लागत तथा बैठक एवं पत्र, जिसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है</td><td>कार्य योजना अनुमोदित नहीं।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>परिव्यय</td><td>1411.43 लाख</td></tr>
<tr><td>6</td><td>केन्द्र पोषित योजना की स्थिति में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु पुर्नवैद्य/अवमुक्त केन्द्रांश भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>केन्द्रांश के सापेक्ष जारी की जा सकने योग्य धनराशि</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>8</td><td>योजना हेतु वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्राविधान</td><td>1411.43 लाख</td></tr>
<tr><td>9</td><td>पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृतियॉ तथा व्यय की धनराशि</td><td><table><tr><td>पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृति</td><td>व्यय की गयी धनराशि</td></tr><tr><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>10</td><td>चालू योजना की स्थिति में गत वर्ष जारी धनराशि तथा व्यय का विवरण</td><td><table><tr><td>जारी धनराशि</td><td>व्यय का विवरण</td></tr><tr><td>1411.43</td><td>1022.35</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>11</td><td>प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति का मदवार विवरण</td><td>अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-05-मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण</td></tr>
<tr><td></td><td>मानक मद</td><td>वांछित धनराशि (हजार रूपये में)</td></tr>
<tr><td></td><td>09- विद्युत देय</td><td>38.00</td></tr>
<tr><td></td><td>16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान</td><td>489.00</td></tr>
<tr><td></td><td>42-अन्य व्यय</td><td>61.00</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>588.00</td></tr>
</table>

(रूपये पांच करोड अठठासी लाख मात्र)

(बी0 राम शास्त्री)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।